मेरी जगह

क़ुरबानी का मक़सद

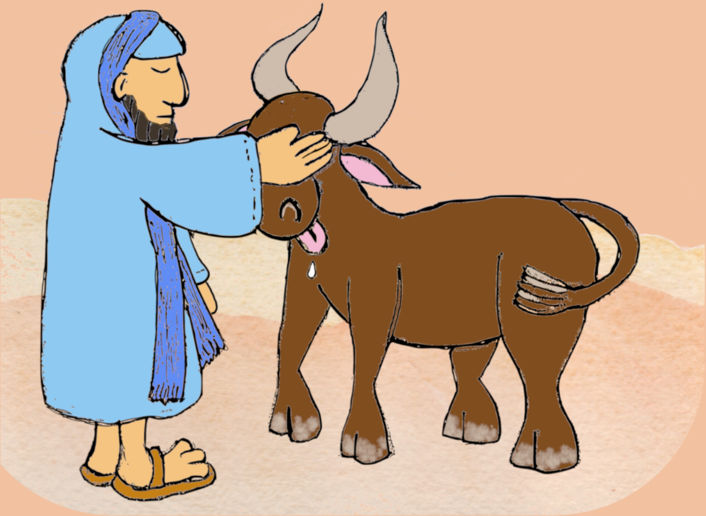

merī jagah. qurbānī kā maqsad

In My Stead. The Purpose of Sacrifice

by Bakhtullah

[*Zinda Kalam 10*]

(Urdu—Hindi script)

© 2026 Chashma Media.
published and printed by
GWCS, New Delhi

Bible text is from UGV.

illus. M. Heindl; R. Gunther https:
//freebibleimages.org/illustrations/ls-abraham-isaac/

for enquiries or to request more copies:
askandanswer786@gmail.com

फ़हरिस्त

मेरी जगह बेऐबी	3
मेरी जगह गुनाहगार	3
मेरी जगह मौत की सज़ा	4
मेरी जगह जान की क़ुरबानी	4
असल क़ुरबानी ईसा मसीह है	7
असल क़ुरबानी से बहाली यक़ीनी	9
तौरेत, अहबार 4:13-21	9

जब ख़ुदा इसराईली क़ौम को मिसर से निकाल लाया तो उनके लिए ईमान का सफ़र शुरू हुआ। चलते चलते वह सीना पहाड़ पर पहुँच गए। वहाँ ख़ुदा ने उन्हें ज़िंदगी की राह दिखाई। जो उस पर चल पड़े उसका ख़ुदा और दूसरों के साथ रिश्ता बहाल रहता है। शर्त यह है कि वह वफ़ादार रहे।

► **क्या अब से ख़ुदा और क़ौम के दरमियान रिश्ता अच्छा रहा?**

अफ़सोस, ऐसा नहीं था। हम अपनी जर्सी से धूल तो झाड़ सकते हैं। लेकिन गुनाह को हम इतनी आसानी से झाड़कर अपने आपसे दूर नहीं कर सकते। यों इसराईली क़ौम बार बार गुनाह में उलझी रही। गुनाह इतनी मज़बूती से इनसान के अंदर अटका रहता है जितनी मज़बूती से गुठली आम के अंदर अटकी रहती है। आम, गुठली के बिना होता ही नहीं। इनसान भी गुनाह के बिना होता ही नहीं।

► **क्या इनसान इस हालत में पाक ख़ुदा के हुज़ूर आ सकता है?**

नहीं। गुनाह से उसे ख़ुदा से दूर ही दूर रहना पड़ता है।

लेकिन ख़ुदा रहमदिल है। वह चाहता है कि इनसान मेरे हुज़ूर आए, कि वह मुझसे रिफ़ाक़त रखे। इसलिए उसने अपनी मेहरबानी से यह कमी दूर करने का एक रास्ता खोल दिया।

► **उसने क्या रास्ता खोल दिया?**

उसने शरीअत का एक इंतज़ाम क़ायम किया ताकि इनसान गुनाह से आज़ाद होकर ख़ुदा के हुज़ूर आ सके, उससे रिफ़ाक़त रख सके।

► **कौन-सा इंतज़ाम?**

क़ुरबानी का इंतज़ाम।

► **यह इंतज़ाम किस तरह हमारी ख़ुदा से रिफ़ाक़त बहाल करता है?**

यह गुनाह को दूर करने से ख़ुदा से रिफ़ाक़त बहाल करता है। इसलिए लाज़िम था कि तमाम लोग क़ुरबानी पेश करें। ईस क़ुरबानी के लिए बैल, भेड़ या बकरी इस्तेमाल होती थी।

► **क़ुरबानी के पीछे क्या ख़याल है?**

पहला ख़याल,

मेरी जगह बेऐबी

तौरेत में लिखा है,

> जब लोगों को पता लगे कि हमने गुनाह किया है तो जमात मुलाक़ात के ख़ैमे के पास एक जवान बैल ले आए और उसे गुनाह की क़ुरबानी के तौर पर पेश करे।

► **जानवर को क्यों इनसान की जगह क़ुरबान किया जाता था?**

इसलिए कि वह बेऐब था। सिर्फ़ बेऐब जानवर मंज़ूर था (अहबार 1:3)। दूसरा ख़याल,

मेरी जगह गुनाहगार

लिखा है,

> जमात के बुज़ुर्ग रब के सामने अपने हाथ उसके सर पर रखें, और वह वहीं ज़बह किया जाए।

► **इनसान अपना हाथ जानवर के सर पर रख देता था। यह क्यों?**
इससे उसका गुनाह जानवर पर मुंतक़िल हो जाता था। तीसरा ख़याल,

मेरी जगह मौत की सज़ा

► **तब जानवर को ज़बह किया जाता था। यह क्यों?**
उसे इनसान की जगह ज़बह किया जाता था, जो अपने गुनाहों के बाइस सज़ाए-मौत के लायक़ था। चौथा ख़याल,

मेरी जगह जान की क़ुरबानी

लिखा है,

> फिर इमामे-आज़म जानवर के ख़ून में से कुछ लेकर मुलाक़ात के ख़ैमे में जाए। वहाँ वह अपनी उँगली उसमें डालकर उसे सात बार रब के सामने यानी मुक़द्दसतरीन कमरे के परदे पर छिड़के। फिर वह ख़ैमे के अंदर की उस क़ुरबानगाह के चारों सींगों पर ख़ून लगाए जिस पर बख़ूर जलाया जाता है। बाक़ी ख़ून वह बाहर ख़ैमे के दरवाज़े की उस क़ुरबानगाह के पाए पर उंडेले जिस पर जानवर जलाए जाते हैं।

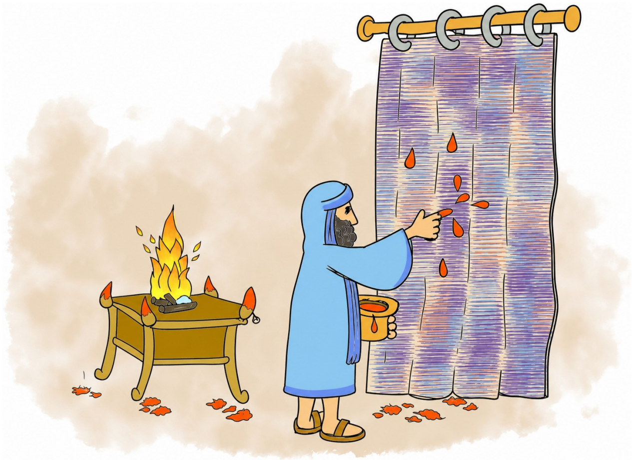

► **इमाम ख़ून को मक़दिस की मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर छिड़क देता है। क्यों?**

ख़ून जान का निशान है। यों तौरेत में लिखा है,

> हर मख़लूक़ के ख़ून में उसकी जान है। मैंने उसे तुम्हें दे दिया है ताकि वह क़ुरबानगाह पर तुम्हारा कफ़्फ़ारा दे। (अहबार 17:11)

इसके बाद इमाम जानवर की तमाम चरबी क़ुरबानगाह पर

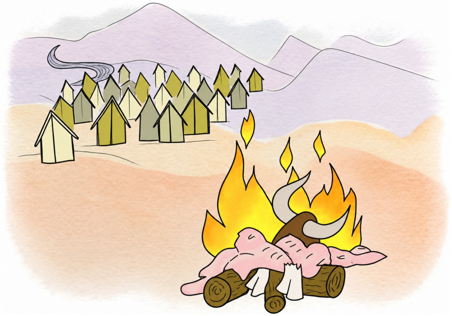

और बाक़ी हिस्सा ख़ैमागाह के बाहर जला देता था। लिखा है,

> यों वह लोगों का कफ़्फ़ारा देगा और उन्हें माफ़ी मिल जाएगी।

► **क़ुरबानी से लोगों को क्या मिलता था?**

उनका कफ़्फ़ारा दिया जाता था और उन्हें माफ़ी मिल जाती थी।

► **लेकिन क्या जानवर की क़ुरबानी सचमुच इनसान के गुनाहों को दूर कर सकता था?**

हरगिज़ नहीं। इसलिए लिखा है,

> मुमकिन ही नहीं कि बैल बकरों का ख़ून गुनाहों को दूर करे। (इंजील, इबरानियों 10:4)

जानवरों की क़ुरबानियाँ सिर्फ़ असल का साया थीं। वह सिर्फ़ उस आनेवाली क़ुरबानी की तरफ़ इशारा थीं जो सचमुच इनसान के गुनाहों को दूर कर सकती थी। इसलिए पाँचवाँ ख़याल,

असल क़ुरबानी ईसा मसीह है

► **असल क़ुरबानी कौन है?**

ईसा मसीह। इसलिए यहया नबी, ईसा मसीह को देखते ही पुकार उठा,

> देखो, यह अल्लाह का लेला है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। (इंजील, यूहन्ना 1:29)

ईसा मसीह ने अपना ख़ून सलीब पर बहाने से वह क़ुरबानी दी जिससे इनसान के गुनाहों को सचमुच मिटाया जाता है। जिस तरह एक और जगह पर लिखा है,

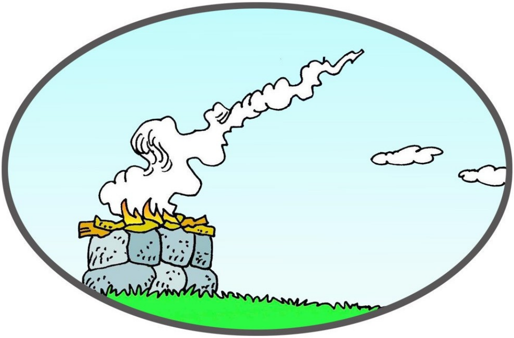

> तुझे ज़बह किया गया, और अपने ख़ून से तूने लोगों को हर क़बीले, हर अहले-ज़बान, हर मिल्लत और हर क़ौम से अल्लाह के लिए ख़रीद लिया है।
> (इंजील, मुकाशफ़ा 5:9)

जानवरों की क़ुरबानियाँ गुनाहों को मिटाने का आरिज़ी वसीला थीं जबकि असल क़ुरबानी दायमी है। उसी से गुनाहों को मिटाने का मुअस्सिर रास्ता खुल गया। ईसा मसीह में वह बेऐबी है जो मुझमें पाई नहीं जाती। फिर भी वह मेरी जगह गुनाहगार ठहरा। उसे मेरी जगह मौत की सज़ा मिली। मेरी ही जगह उसने अपनी जान दी ताकि मैं ख़ुदा को मंज़ूर हो जाऊँ। एक आख़िरी ख़याल,

असल क़ुरबानी से बहाली यक़ीनी

- **इस क़ुरबानी से हमारा ख़ुदा से रिश्ता बदल जाता है। कैसे?**
  इस क़ुरबानी से हमारा ख़ुदा से रिश्ता बहाल हो जाता है। तब हम हर वक़्त ख़ुदा के हुज़ूर आ सकते हैं, उसकी रिफ़ाक़त में रह सकते हैं। शर्त यह है कि हम उसकी यह क़ुरबानी क़बूल करें।
- **क्या आपने उसकी यह क़ुरबानी क़बूल कर ली है?**

तौरेत, अहबार 4:13-21

अगर इसराईल की पूरी जमात ने ग़ैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब के किसी हुक्म से तजावुज़ किया है और जमात को मालूम नहीं था तो भी वह क़ुसूरवार है। जब लोगों को पता लगे कि हमने गुनाह किया है तो जमात मुलाक़ात के ख़ैमे के पास एक जवान बैल ले आए और उसे गुनाह की क़ुरबानी के तौर पर पेश करे। जमात के बुज़ुर्ग रब के सामने अपने हाथ उसके सर पर रखें, और वह वहीं ज़बह किया जाए। फिर इमामे-आज़म जानवर के ख़ून में से कुछ लेकर मुलाक़ात के ख़ैमे में जाए। वहाँ वह अपनी उँगली उसमें डालकर उसे सात बार रब के सामने यानी मुक़द्दसतरीन कमरे के परदे पर छिड़के। फिर वह ख़ैमे के अंदर की उस क़ुरबानगाह के चारों सींगों पर ख़ून लगाए जिस पर बख़ूर जलाया जाता है।

बाक़ी ख़ून वह बाहर ख़ैमे के दरवाज़े की उस क़ुरबानगाह के पाए पर उंडेले जिस पर जानवर जलाए जाते हैं। इसके बाद वह उस की तमाम चरबी निकालकर क़ुरबानगाह पर जला दे। उस बैल के साथ वह सब कुछ करे जो उसे अपने ज़ाती ग़ैरइरादी गुनाह के लिए करना होता है। यों वह लोगों का कफ़्फ़ारा देगा और उन्हें मुआफ़ी मिल जाएगी। आख़िर में वह बैल को ख़ैमागाह के बाहर ले जाकर उस तरह जला दे जिस तरह उसे अपने लिए बैल को जला देना होता है। यह जमात का गुनाह दूर करने की क़ुरबानी है।